मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1973

07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की निधि में समयानुसार बढ़ोतरी

1973. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत जारी की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी/मकान हेतु कितनी निधि तय है और इसे कब से बढ़ाया नहीं गया है तथा इस दौरान भवन निर्माण संबंधी संसाधन में किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार महंगाई को देखते हुए उक्त योजना के तहत मकान बनाने हेतु प्रति मकान दी जाने वाली निधि बढ़ाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग) भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के तहत, 25.06.2015 से शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इस योजना के चार घटक हैं, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास

निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों का निर्माण केंद्रीय सहायता, राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान से किया जा रहा है। भारत सरकार आईएसएसआर के तहत 1.0 लाख रूपये, पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी वर्टिकल के तहत 1.5 लाख रूपये की केंद्रीय सहायता के रूप में एक निश्चित हिस्सा प्रदान कर रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा साझा की जाती है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी हिस्सेदारी इस प्रकार से देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे कि पात्र लाभार्थियों के लिए आवास वहनीय हो। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत, 6 लाख रूपये, 9 लाख रूपये और 12 लाख रूपये तक आवास ऋण के लिए ऋण राशि पर क्रमशः 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह (एमआईजी)-I और मध्यम आय समूह (एमआईजी)-II से संबंधित पात्र लाभार्थियों को दी जा रही थी।

योजना की अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए, योजना के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक को छोड़कर, 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई है और प्रति घर केंद्रीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीएमएवाई-यू के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केंद्रीय सहायता का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

***

दिनांक 07-08-2023 के राज्य सभा प्रश्न संख्या 1973के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

छत्तीसगढ राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2020-23) में जारी केंद्रीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	ज़िला नाम	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रूपये में)
1	बालोद	40.51
2	बलोदा बाज़ार	50.47
3	बलरामपुर	14.07
4	बस्तर	21.60
5	बेमेतरा	51.61
6	बीजापुर	4.25
7	बिलासपुर	208.19
8	दंतेवाड़ा	11.50
9	धमतरी	61.50
10	दुर्ग	268.38
11	गरियाबंद	13.72
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	6.28
13	जांजगीर - चंपा	93.55
14	जशपुर	35.12
15	कबीरधाम	47.01
16	कांकेर	14.82
17	कोंडागांव	18.25
18	कोरबा	35.10
19	कोरिया	14.39
20	महासमुंद	34.42
21	मुंगेली	21.48
22	नारायणपुर	4.53
23	रायगढ़	84.79
24	रायपुर	402.18
25	राजनंदगांव	139.14
26	सुकमा	10.35
27	सूरजपुर	17.73
28	सरगुजा	52.62
कुल		**1,777.54**

****